डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम

बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

1. मोटी बेवा चिम्मन
2. सुरेश पुत्र चिम्मन
3. गुड्डू पुत्र चिम्मन
4. शेरसिंह पुत्र चिम्मन
5. रामखिलाडी पुत्र रामदेव

समस्त जातियान मीना निवासीयान करीरी तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(वादीगण)

बनाम

1. हरिप्रसाद पुत्र कन्हैया
2. मनोहर पुत्र कन्हैया
3. दीनदयाल पुत्र कन्हैया
4. संतोष पुत्र कन्हैया
5. रूकमणी बेवा कन्हैया

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी सुजानपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

6. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत इन्द्राज दुरूस्ती गत ट्रेस एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0 105/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट मिनजानिब मुदई रूबरू, ... हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। कि

वादी का दावा स्वीकार योग्य उचित नही पाये जाने से खारिज किया जाता है।

बिज.....................मुबलिंग..........................बाबत........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह....... ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 24.02.2020 को जारी की गई।

कार्यालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

24/2/2020

उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

दस्तखत.........................

ओहदा.........................

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0:–105/2018 तारीख रजू:– 23.08.2018

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस

उनवान

1. मोटी बेवा चिम्मन
2. सुरेश पुत्र चिम्मन
3. गुड्डू पुत्र चिम्मन
4. शेरसिंह पुत्र चिम्मन
5. रामखिलाडी पुत्र रामदेव

समस्त जातियान मीना निवासीयान करीरी तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(वादीगण)

बनाम

1. हरिप्रसाद पुत्र कन्हैया
2. मनोहर पुत्र कन्हैया
3. दीनदयाल पुत्र कन्हैया
4. संतोष पुत्र कन्हैया
5. रूकमणी बेवा कन्हैया

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी सुजानपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

6. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादीगण)

कार्यालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज0

दावा बावत इन्द्राज दुरूस्ती गत ट्रेस एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति:– श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट (वादीगण)

दिनांक:– 24.02.2020

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि गत ख0न0 1531 रकवा 15 विस्वा किस्म चाही ग्राम खोहरा मे स्थित है जो वादीगण के बुजुर्ग रामदेव, रामलाल पुत्र बुद्धाराम के नाम खातेदारी दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2041–2044 तक मे उपरोक्त व्यक्तियो के नाम खातेदारी दर्ज है। उनकी मृत्यु के पश्चात विरासत से यह आराजी हम वादीगण को प्राप्त हुई है। गत ख0न0 1531 रकवा 15 विस्वा को भू–प्रबन्ध से पूर्व ट्रेस सम्वत 1994 मे स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। दौराने भू–प्रबन्ध मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–2062 मे गत ख0न0 1531 के हाल ख0न0 2024 रकवा 0.08, 2025 रकवा 0.11 है0 कायम किये है जबकि इसके साथ हाल ख0न0 2023 रकवा 0.02 है0 की गत ख0न0 1531 रकवा 15 विस्वा की भूमि गत ट्रेस के अनुसार हाल ट्रेस तैयार नही किया है। गत ट्रेस के अनुसार वादीगण के नाम हाल ख0न0 2023 का सम्पूर्ण रकवा वादीगण के नाम खातेदारी मे होना चाहिये था उक्त भूमि की गत ख0न0 1531 की ही भूमि है। वादीगण भू–प्रबन्ध के दौरान व आज तक अपनी गत खातेदारी ख0न0 1531 रकवा 15 विस्वा पर आज तक काबिज है तथा डौलमेढ बनी हुई है। उक्त आराजी की प्रतिवादीगण के नाम गलत खातेदारी दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल की भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा खिलाफ मौका तैयार किया गया है। इस प्रकार वादीगण हाल ख0न0 2023 रकवा 0.02 है0 गत ट्रेस के अनुसार अपने नाम खातेदारी कराने के हकदार है तथा हाल ट्रेस व जमाबन्दी मे गत ट्रेस व जमाबन्दी अनुसार अपने हक मे खातेदारी कराने के हकदार है वादीगण अशिक्षित, ग्रामीण व काश्तकार आदमी है। भू प्रबन्ध विभाग की इस गलती की जानकारी नही थी। वादीगण पटवारी हल्का के पास रिकार्ड लेने गये तब जानकारी हुई। जब वादीगण ने प्रतिवादीगण से रिकार्ड जमाबन्दी व ट्रेस मे दुरूस्ती कराने को कहा तो इन्कार हो गये इसलिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीगण बखिलाफ प्रतिवादीगण न0 1 ता 5 बाबत इस्तकरारहक व इन्द्राज दुरूस्ती जमाबन्दी व ट्रेस डिकी किया जाकर गत ख0न0 1531 रकवा 15 बिस्वा ग्राम खोहरा व गत ट्रेस के अनुसार हाल ख0न0 2023 रकवा 0.02 है0 का सम्पूर्ण रकवा ग्राम खोहरा तहसील टोडाभीम का वादीगण को

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा तहसीलदार टोडाभीम को आदेश प्रदान किये जावे कि वे
उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व ट्रेस मे अमल करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी न0 1 ता 4 व 6
बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 5 रूकमणी
बेवा कन्हैया के फौत हो जाने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वादी वकील ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22
नियम 4 जा0 दी0 पेश किया कि मृतका के वारिसान पूर्व से ही प्रतिवादी न0 1 ता 4 बनाये हुये है इसलिये
इसके नाम के आगे मृतक दर्ज किया जावे। सुनवाई के बाद प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये प्रतिवादी न0 5
के नाम के आगे मृतक शब्द दर्ज किया गया। वादी वकील के प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 जा0दी0 पर
सुनवाई करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये तहसीलदार टोडाभीम को मौका कमीश्नर नियुक्त किया
गया। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार टोडाभीम की और
से मौका रिपोर्ट मे वर्णित किया कि नवीन ख0न0 साबिक नक्शा सीट के अनुसार नही बनाया गया है रकवा
साबिक रिकार्ड के अनुसार सही बनाया है। इस पर वादी वकील की बहस सुनकर प्रकरण मे रकवा बरारी
की रिपोर्ट आवश्यक होने से तहसीलदार टोडाभीम से रकवा बरारी की रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार
टोडाभीम ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि हाल ख0न0 2024 रकवा 0.08, 2025 रकवा 0.11 है0
रिकार्ड के अनुसार दर्ज है। जबकि मुताबिक नक्शा सीट बरारी करने पर ख0न0 2024 का रकवा 0.06 व
ख0न0 2025 का रकवा 0.11 होता है। इस प्रकार 0.02 है0 का अन्तर अर्थात कम भूमि दर्ज है। ख0न0
2023 रकवा 0.02 है0 मुताबिक रिकार्ड व नक्शा सीट सही दर्ज है। परन्तु ख0न0 2018 रकवा 0.01 है0
गै0मु0चाह दर्ज है। परन्तु ख0न0 2018 की नक्शा सीट मे बनी आकृति का रकवा बरारी करने पर 0.03 है0
भूमि दर्ज है जो रिकार्ड मे दर्ज भूमि से 0.02 है0 अधिक दर्ज है जो रामस्वरूप, रामकिशोर, सुरज्ञान, पि0
भजनी की खातेदारी मे दर्ज है। वादी वकील ने रिपोर्ट रकवा बरारी का अवलोकन कर कथन किया कि
प्रकरण मे अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जा.दी. का प्रार्थना पत्र पेश करूगॉ।

वादी वकील अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जा.दी. का प्रार्थना पत्र पेश नही कर वादपत्र मे वर्णित
तथ्यों की ही दोहरान कर दावा डिकी करने का कथन किया।

वादी वकील की बहस पर मनन एवं वादपत्र मे शामिल दस्तावेज नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार
टोडाभीम से प्राप्त दिनांक 18.9.19 एवं रकवा बरारी की रिपोर्ट दिनांक 9.12.19 का अवलोकन किया गया।
तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त रिपोर्टो से स्पष्ट होता है कि ग्राम खोहरा के साबिक ख0न0 1531 रकवा 15
बिस्वा से नवीन ख0न0 2024/0.08, 2025/0.11 है0 कायम हुये है। साबिक रकवा के अनुसार हाल रकवा
पूर्ण है। वादी द्वारा नक्शा ट्रेस मे ही दुरूस्ती चाही गई है। तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त रिपोर्ट रकवा
बरारी मे स्पष्ट है कि आराजी ख0न0 2018 रकवा 0.01 किस्म गै0मु0 चाह की नक्शा सीट रकवा 0.03 है0
के अनुरूप बनाई है। आराजी ख0न0 2023 का रकवा आराजी ख0न0 2018 मे सम्मिलित हो रहा है। वादी
ने ख0न0 2018 के खातेदारान को रामस्वरूप, रामकिशोर, सुरज्ञान पि0 भजनी को पक्षकार नही बनाया गया
है। जबकि इस संबध मे वादी वकील ने रिपोर्ट रकवा बरारी का अवलोकन कर प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम
17 जा.दी. पेश करने का कथन किया था। किन्तु बाद मे यह प्रार्थना पत्र पेश करने से दौराने बहस इन्कार
किया। रिपोर्ट तहसीलदार एवं नक्शा सीट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आराजी ख0न0 2024 का
रकवा ख0न0 2023 मे एवं ख0न0 2023 का रकवा ख0न0 2018 मे मिला हुआ है। वादी द्वारा आराजी
ख0न0 2018 के खातेदारान को पक्षकारान नही बनाया गया है। ख0न0 2018 के खातेदारान का पक्ष सुना
जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अतः प्रभावित खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण वादी
का वाद खारिज योग्य पाता हूँ। साथ ही वादी को स्वतन्त्रता प्रदान की जाती है कि वह नया वादपत्र
प्रस्तुत करना चाहे तो नया वादपत्र प्रस्तुत कर सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का दावा स्वीकार योग्य उचित नही पाये जाने से खारिज
किया जाता है। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

24/2/2020

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

कार्यालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली) राज.

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad
Meena
Date: 2020.03.04 15:33:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: